Barauni and Koyali Refineries

*42. **Shri R. G. Dubey:**
Shri Vishram Prasad:
Shri Yashpal Singh:
Shri P. C. Borooah:
Shri Mohan Swarup:
Shri Bhagwat Jha Azad:
Shrimati Savitri Nigam:
Shri P. R. Chakraverti:
Shri D. C. Sharma:
Shri D. J. Naik:
Shri Subodh Hansda:

Will the Minister of **Petroleum and Chemicals** be pleased to state:

(a) whether detailed project reports for the expansion of the capacity of the Barauni and Koyali refineries from 2 million to 3 million tons have been prepared; and

(b) if so, the salient features thereof

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir): (a) These are under preparation by the Soviet authorities.

(b) Does not arise.

स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति

*४३. श्री विश्राम प्रसाद :
श्री हरि विष्णु कामत :
श्री सिद्धेश्वर प्रसाद :
श्री प्रकाशवीर शास्त्री :
श्री यशपाल सिंह :
श्री मोहन स्वरूप :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३०० संसद् सदस्यों ने केन्द्रीय सरकार से प्रार्थना की है कि स्वामी विवेकानन्द की मूर्ति कन्या कुमारी में उस चट्टान पर स्थापित की जाये जिस पर तपस्या की थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या निर्णय किया है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार ही निर्णय कर सकती है ।

काशी विद्यापीठ, वाराणसी

*४४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने काशी विद्यापीठ, वाराणसी को विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि विद्यापीठ को उचित अनुदान देने, एम० ए० (अर्थशास्त्र) पाठ्यक्रम चालू करने तथा अन्य संस्थान तथा विभाग खोलने में विभिन्न प्रकार की तकनीकी दिक्कतें खड़ी की जा रही हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इस राष्ट्रीय महत्व की संस्था का शीघ्र विकास करने के लिये सरकार क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

शिक्षा मंत्रालय में उपमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा ३ के अन्तर्गत, यह घोषित किया गया है कि काशी विद्यापीठ, वाराणसी को विश्वविद्यालय समझा जाए ।

(ख) और (ग). जी नहीं । वर्तमान स्थिति यह है कि आयोग ने अपनी सामान्य क्रियाविधि के अनुसार संस्था की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं को आंकने के लिए